



**-:प्रेस नोट:-**

**दिनांक- 08.08.2025**

## **कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा**

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 02 अलग-अलग मामलों में 03 अभियुक्तों को 9000/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

**विवरण**— पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 02 अलग-अलग मामलों में कुल 03 अभियुक्तों को कुल 9000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

### **अभियोग-**

1. थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत अभियोग 1050/94 धारा 323/34/504/506 भादवि 3(1)X एससी/एसटी एक्ट के अभियुक्तगण 1. नंदकिशोर उर्फ लल्लू पुत्र गोविंद यादव 2. राजू पुत्र गोविंद यादव निवासीगण थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को कुल 7000 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना जसपुरा में पंजीकृत अभियोग 79/16 धारा 3/25 आयुध अधि० के अभियुक्त बंटू सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह नि० मेहरा रोड जनपद भिन्ड (म०प्र०) को कुल 2000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।